पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल - सरकण साईं

ग्राम पंचायत आसेला

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - गाँव करीब 1382 ई. से बसा है। उससे पहले डूंगरपुर वाला इलाका गिडीपुर नाम से जाना जाता था। उस समय सरकण गाँव में विजय सिंह जी महाराज का आधिपत्य था। एक बार गाँव में महामारी फैल गई। उस महामारी से गाँव वालों को को एक साईं बाबा(शिर्डी वाले नहीं) ने बचाया था। तब से गाँव का नाम साईं के नाम से जाना जाने लगा। गाँव में साईं भक्त बहुत थे, इसलिए गाँव का नाम सरकण साईं पड़ गया। गाँव के आस पास में जंगल और पहाड़ियाँ थी। जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पेड़, पौधे और जीव-जन्तु रहते थे। सरकण साईं गाँव की धार्मिक पहचान में रामदेव जी के दो मंदिर, एक धुणी, एक माता जी का मंदिर और एक शिव मंदिर है।

गाँव का एक परिचय - सरकण साईं गाँव की जिला मुख्यालय से दूरी करीब 10 किलोमीटर है। सरकण साईं के पड़ोसी गाँव - तीजवड़, सरकण-कोपचा और आसेला है। सरकण साईं गांव में कुल घरों की संख्या करीब 230 और गाँव की कुल आबादी करीब 1300 है। गाँव में 8 फले हैं- दतुनिया, वेरिया तलाई, नगावाव, बिसका फला, घाटिया फला, डामोर फला, बुरिला फला, डोडियार फला। गाँव में शिलालेख और गाँव सभा का गठन 24 जनवरी 2018 को हुआ था। गाँव का पूरा रकबा 625 हैक्टेयर है। गाँव की कुल कृषि भूमि करीब 400 हैक्टेयर है। बेनामी जमीन करीब 50 हेक्टेयर, चारागाह की जमीन लगभग 60 हेक्टेयर है। गाँव में डामोर, रोत, परमार, अहारी, खराड़ी आदि आदिवासी उपजाति के लोग रहते हैं। 12 परिवार कनिया अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 परिवार हैं, जो कलाल समाज के हैं। गाँव में लगभग 30 घरों में बिजली की सुविधा नहीं है। गाँव में एक क्रेशर लगा हुआ है। जिससे गिट्टी का खनन होता है। गाँव में एक एनीकट है लेकिन उससे पानी रिस जाता है। 6 महीने से अधिक पानी नहीं टिकता है। गाँव में छोटे-मोटे पहाड़ हैं। एक राशन की दुकान है। गाँव में बिजली की 2 डी.पी.(ट्रांसफार्मर) हैं। गाँव में एक सामुदायिक भवन है। राशन की दुकान एक है, जो गाँव के किनारे पर है। कई लोगों के इंदिरा आवास अधूरे पड़े हैं। उनको पूरा सही बनाये जाने की आवश्यकता है। अवैध रूप से मनमाना खनन हो रहा है। अवैध खनन को रोका जाने की आवश्यकता है।

आवागमन की स्थिति - सरकण साईं जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से बस मिलती है जो सरकण साईं गाँव जाने वाली मुख्य सड़क तक छोड़ती है। जिसे आसेला मोड़ भी कहते हैं। मुख्य सड़क से तीन किलोमीटर पैदल चलने के बाद सरकण साईं गाँव में पहुँच सकते हैं। निजी साधन से भी जा सकते हैं। सरकण साईं से लोग करीब एक से दो किलोमीटर पैदल चलकर अपने-अपने घरों को जाते हैं। गाँव में चार कच्ची सड़क है। एक पुरानी सी.सी. सड़क है। वह

गुणवत्ता की कमी और मरम्मत के अभाव में उखड़ गई है। गाँव में अधिकाँश कच्चे रास्ते हैं और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में आंगनवाड़ी एक है। एक निजी प्राथमिक स्कूल है जिसमें 120 बच्चे हैं और अध्यापकों की संख्या 3 है। एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें बच्चों की संख्या 280 है और कुल अध्यापकों की संख्या 9 है। विद्यालय में कमरों की कमी है। भवन की हालत जर्जर है। वर्षा के समय छत से पानी टपकता है। भवन में नए कमरे बनवाने हैं। पुराने कमरों की मरम्मत करवानी है। विद्यालय को क्रमोन्नत भी करना है। गाँव में जो एक आंगनवाड़ी है, उसकी भी अवस्था जर्जर है। आंगनवाड़ी को विद्यालय परिसर में ही बनाए जाने का गाँव सभा में प्रस्ताव लिया है। गाँव में उप-स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उप-स्वास्थ्य केंद्र 2 किलोमीटर दूर आसेला में है। सरकारी चिकित्सालय गांव से 7-8 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में है। मरीजों को लाने ले जाने के लिए निजी वाहनों से जाना पड़ता है। पशु चिकित्सालय भी गांव से 2 किलोमीटर दूर आसेला में है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 8 बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

आवागमन की कमी - मुख्य सड़क से गाँव के बाहर कहीं आने-जाने की समस्या उतनी नहीं है, जितनी दुसरे अंदरुनी गांवों में है, क्योंकि ऑटो स्टैंड सरकण साईं से ऑटो मिल जाती है। गाँव के फलों से एक से तीन किलोमीटर पैदल चलने के बाद सरकण साईं ऑटो स्टैंड पहुँच सकते हैं। जीप और टेम्पो लगभग दुगनी ओवर लोड सवारियाँ भरते हैं। सबसे अधिक असुविधा बच्चों, विकलांगों, वृद्धों तथा बीमारों को होती है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में जमीन करीब 625 हेक्टेयर है, जो ऊबड़-खाबड़ है। जिसमें कृषि जमीन 400 हेक्टेयर है। गाँव में चरागाह 60 हेक्टेयर, सिंचित खेत 400 हेक्टेयर के लगभग है। पैदावार मौसमी और कम होती है। गाँव में बिला नाम जमीन करीब 50 हेक्टेयर है, जिस पर निजी कब्जा है। चरागाह (चरनोट) भूमि 60 हेक्टेयर है। उस पर भी निजी कब्जा है। बिला नाम भूमि पर खातेदारी का दावा किया गया है, लेकिन खातेदारी हक़ (पट्टा) नहीं मिला है। वृक्षारोपण करने की जरूरत है। गाँव की जमीन ऊबड़-खाबड़ तथा पथरीली है। गाँव की सारी पहाड़ियाँ उजाड़ पड़ी हैं। कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। गाँव में दो तालाब, 20 कुँए हैं।

करीब 40-45 हैंड पंप और करीब 45 निजी बोरवेल है। गर्मी में भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण गाँव में पानी का संकट बढ़ जाता है। गर्मी में पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। नाले में मात्र बरसात में पानी भरा रहता है। उसके बाद सूख जाता है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक गाँव वालों के पास नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव वालों की मुख्य जीविका कृषि है। बहुत कम लोगों की जमीन समतल है। बाकी अधिकांश लोगों की जमीन पथरीली, पहाड़ की ढलान वाली और ऊबड़-खाबड़ है। सिंचाई की व्यवस्था समतल जमीन पर ठीक ठीक हो जाती है। जिन लोगों की जमीन पहाड़ी की ढलान पर और ऊबड़-खाबड़ तथा पथरीली है, उन्हें खेती करने में बहुत तकलीफ होती है। अधिकांश लोगों की खेती सिर्फ बरसात में ही हो पाती है। फसलों पर जंगली जानवर जैसे नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर और अन्य पशु-पक्षी जंगली आदि का खतरा रहता है। वह फसल को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अधिकांश लोग जो खेती करते हैं, वह भी बड़ी मुश्किल से स्वयं के परिवार के भरण-पोषण के ही काम आती है। खेती में तीन-चार महीने भर का अनाज उत्पन्न होता है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग मुट्ठी भर लोग ही करते हैं। धान, गेहूं, मक्का, चना और उड़द उनकी मुख्य फसल है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 80% है। गाँव में सरकारी नौकरी करने वाले 6 लोग हैं। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है, और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सकी है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहाँ उनको कोई काम मिलता है तो ठीक, नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं। अगले दिन उसी मजदूर मंडी में पहुँच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहाँ वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मनरेगा में सामान्यतया वार्ड पंच होते हैं। वह लोगों का आवेदन तो करवाते हैं, लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं। मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला कुआं निजी बोरवेल हैंड पंप	गाँव में दो तालाब, 20 कुँए हैं। करीब 40-45 हैंड पंप और करीब 45 निजी बोरवेल हैं। सरकण साईं गाँव के बीच में से एक नाला भाखरा निकलता है, जिस पर एक बाँध भी बना हुआ है। लेकिन बाँध में दरारों के कारण पानी अक्टूबर-नवम्बर तक सूख जाता है और गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। गर्मी में पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है।	वर्षा जल संरक्षण कर नाले में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊँचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। तलावडी की मरम्मत करके और पुराने कुओं की मरम्मत और गहरीकरण करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को नियंत्रण करना होगा।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है। बाकी पहाड़ी ढलानवाली, ऊबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। गाँव में जितनी जमीन है	खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है, उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की

	उसके आधी से कम जमीन पर खेती होती है। बिला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ी और पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है	बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। गाँव तक नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों में जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से कृषि और अन्य व्यवसाय के लिए लोग योजना बनाना शुरू करें तो गाँव से किशोरों और युवाओं के गुणवत्ताविहिन पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
जंगल	गांव में पहाड़ियाँ हैं। उन पर वन विभाग का आधिपत्य है। जंगल में अधिकतर झाड़ियाँ, बबूल के पेड़, सीताफल और सागौन के पेड़ हैं। महूए के भी पेड़ है। महूआ से कुछ लोग शराब बनाते हैं।	वन पर सामुदायिक वन दावा करके जंगल को गाँव सभा के अधीन करके उसे पुनर्जीवित करना। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी लेना। इस प्रकार गाँव के लोगों की आय के स्रोत को बढ़ाना। जंगल के आस-पास पानी रुकने की व्यवस्था होने पर जंगल में आंवला, टीमरु, सीताफल, आम, सागवान और अन्य वृक्ष लगाना।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ-साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। चारा गाँव के अधिकाँश लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा बाजार से खरीदना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है, तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के आधे चारागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चारागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियाँ होने से चारा कम ही मिल पाता है।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी, दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता है। महीने भर में उन लोगों को यहाँ 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे प्रांतों खासकर गुजरात में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहाँ भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - वृद्धा पेंशन लाभार्थियों में 70 महिलाएं और 56 पुरुष है। विधवा पेंशन लाभार्थी में 9 महिलाएं हैं और 2 महिला एकल नारी पेंशन लाभार्थी है। गाँव में आवास योजना के पात्रों की संख्या 30 है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों की संख्या 60 है। मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्रों की संख्या 116 है। गाँव में करीब 30 घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। गाँव के जिन घरों में बिजली है, वह सभी निजी कनेक्शन लिए हुए हैं। गाँव के कुछ घरों में शौचालय नहीं बना है। जो शौचालय बने भी हैं, वो नाम मात्र के बने हैं। उनकी दीवारे सीमेंट की चद्दरों की अथवा बहुत पतली हैं। कुछ शौचालयों पर छत भी नहीं है। राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है। राशन की दुकान पर पोस मशीन भी समस्या

ग्रस्त रहती है। कभी-कभी अंगूठे का निशान नहीं मिलता है या इंटरनेट की समस्या होती और लंबी लाइन लग जाती है। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र हो चुकी है, पर वे जरूरी औपचारिताओं की कमी के चलते पेंशन नहीं ले पा रहे हैं।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	**समस्याएं**	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	**कारण**	**समाधान**	**तात्कालिक/ दीर्घकालिक**	**वरीयता**
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	सरकण साईं के आस-पास के भू-भाग की संरचना ऐसी है कि जमीन ऊबड़-खाबड़ है। जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के कारण रास्ते बनाने में समस्या होती है। जो रास्ते बन जाते हैं, वह जल्दी ही बारिश के कारण खराब हो जाते हैं। रास्तों के निर्माण और मरम्मत के दौरान अच्छी गुणवत्ता का सामान उपयोग नहीं किए जाने के कारण भी रास्ते जल्दी खराब हो जाते	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहाँ रास्ते नहीं है, वहाँ के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है। गाँव सभा द्वारा सतर्कता समिति का भी गठन किया है, जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी। मनारेगा के तहत सड़क निर्माण के पूर्व सूचना गाँव	**तात्कालिक**	

			हैं। मनरेगा के तहत जो सड़के बनती हैं, उसमें भी गाँव वालों की भागीदारी के बजाय निजी कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) से बनवा ली जाती है। कई बार सड़क के बीच में से लोग पाइपलाइन अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए निकालते हैं और बीच में सड़क खोद देते हैं। यह भी रास्ते की समस्या का एक कारण बनता है। ठेकेदार द्वारा अच्छी गुणवत्ता का सामान उपयोग किया जा रहा है या नहीं, अथवा समय से कार्य हो रहा है या नहीं, इस पर गाँव वालों की	वासियों को देने से वे सड़क खोदने जैसे कार्य नहीं करेंगे और निर्माण के समय ही पाइप डाल लेंगे।		

			कोई निगरानी नहीं होना भी रास्ते की समस्या का एक कारण है।			
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। जो स्कूल है, उसमें छात्रों और अध्यापकों के बैठने हेतु कमरों की कमी हैं। जो कमरे हैं, उनकी छत से बरसात में पानी टपकता है। शौचालय में भी पानी की समस्या है।	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक में विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रस्ताव लिए गए हैं।	**तात्कालिक**	
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। ऊबड़-खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है, उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत। खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे-पक्के चेक डैम	**तात्कालिक**	

			तब और बढ़ जाता है, जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलने वाले नाले में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नाले का सारा पानी निकल जाता है। जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है, जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है। वृक्षारोपण, मछली पालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है।		
4	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं। जिस भूमि पर वह काबिज हैं, वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की	**दीर्घकालिक**	

			मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है कि सरकार कभी भी उनकी जमीन ले सकती है। इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है।	बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज हैं, उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं, उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।		
5	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने	बरसात के पानी को पूरे वर्ष नाले और तालाब में रोकने की	**तात्कालिक**	

			के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।	योजना बनाना। बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।		
6	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का	**तात्कालिक**	

			की बेहद जरूरत है, उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं, उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।		

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	**W- Weakness कमजोरी**	**O- Opportunities अवसर**	**T- Threats चुनौतियां**
आवागमन - कच्चे रास्ते पक्की सड़क सी.सी. सड़क मजदूर मनरेगा	कच्चे रास्तों को समय पर आरसीसी में नहीं बदलना। पक्की सडकों की समय पर मरम्मत नहीं करना। गाँव तक पहुँचने के लिए कोई साधन उपलब्ध न होना। सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना। रास्तों के अभाव में बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल	मनरेगा के तहत कच्ची सड़क का निर्माण किया जा सकता है। कच्ची सडकों को आरसीसी सडकों में तब्दील किया जा सकता है। आवागमन के लिए गाँव सभा द्वारा बस की माँग की जा सकती है। आवागमन के साधन उपलब्ध करा और रास्तों का निर्माण कर बच्चों को समय पर	सरपंच व मेट द्वारा मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार करना। गाँव सभा और निगरानी समिति द्वारा निगरानी नहीं किया जाना। गाँव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र न देना। जमीन को लेकर आपसी विवाद को निपटाना।

	पहुँचाने में कठिनाई। एक-दूसरे घरों तक आने-जाने के लिए सिर्फ पगडण्डी का होना। लोगों द्वारा सड़क निर्माण के लिए जमीन न देना।	स्कूल और बीमारों को समय से अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। सड़क के किनारे छोटे-मोटे काम-धंधे किये जा सकते हैं।	
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	गर्मी के दिनों में जल स्रोत सूख जाते हैं या उनमें पानी नाम मात्र का रह जाता है। पानी में फ्लोराइड बढ़ जाती है। जक संग्रहण के लिए अब तक गाँव में कोई कार्य नहीं हुआ। बारिश के पानी के संचयन के लिए किसी योजना का न होना। लोगों द्वारा अधिक से अधिक निजी बोरवेल का प्रयोग करना, जिसके कारण जल स्तर में लगातार गिरावट आना।	कुओं और तालाब का गहरीकरण किया जा सकता है। जल के स्रोतों को बारिश के पानी से रीचार्ज किया जा सकता है। निजी बोरवेल के उपयोग पर नियंत्रण के नियम बनाये जा सकते हैं। जलस्तर ऊपर लाने के लिए जगह-जगह कच्चे व पक्के चेक डैम का निर्माण किया जा सकता है। मनरेगा के तहत बारिश के पानी को संगृहीत करने की योजना पर कार्य किया जा सकता है। ख़राब पड़े हैंडपंप मरम्मत कराये जा सकते हैं।	लोगों और पंचायत का जल संग्रहण के प्रति उदासीन होना। लोगों में बारिश के पानी को संगृहीत करने की जागरूकता बढ़ाना। गाँव सभा को मजबूत करना। जल संकट की समस्या को गाँव सभा में उठाना व उस पर खुली चर्चा करना। निजी बोरवेल का नियमन करना।

आजीविका के साधन मनरेगा कृषि सब्जी उगाना मछलीपालन पशुपालन	कृषि भूमि का पथरीली और ऊबड़-खाबड़ होना। मनरेगा के प्रति लोगों की उदासीनता। गाँव के एनिकट व तालाब में मछलीपालन की कोई योजना न होना। चारागाह जमीन पर चारा उपलब्ध न होना। रोजगार के अन्य साधनों के संबंध में किसी योजना का न होना।	कृषि भूमि का समतलीकरण उपजाऊ बनाना। समतलीकरण के बाद सब्जी उगाई जा सकती है। चारागाह जमीन पर अवैध कब्ज़ा हटाकर उसका विकास करना। गाँव के एनिकट व तालाब में मछलीपालन किया जा सकता है समतलीकरण के बाद सब्जी उगाई जा सकती है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी या मधुमक्खी पालन किया जा सकता है समतलीकरण के बाद सब्जी उगाई जा सकती है। गाँव सभा द्वारा मनरेगा का सामूहिक आवेदन किया जा सकता है समतलीकरण के बाद सब्जी उगाई जा सकती है। गाँव की खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण किया जा सकता है समतलीकरण के बाद	पंचायत में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। गाँव सभा को मजबूत करना। गाँव सभा में गाँव की समस्याओं पर चर्चा करना और उन पर निर्णय लेना। रोजगार के अन्य साधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

		सब्जी उगाई जा सकती है।	
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा।सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना।जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना।गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना।खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव।सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

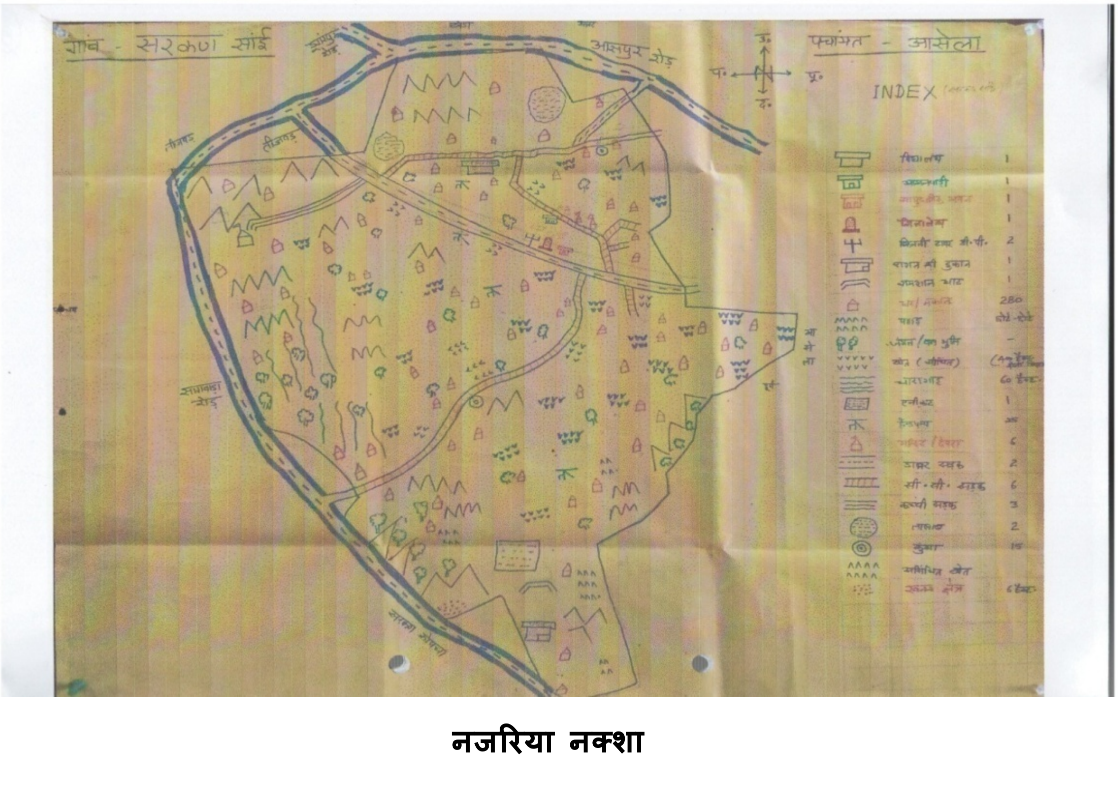

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्ताव क्र	प्रस्ताव जो पारित हुए	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	चेकडैम निर्माण 1. नारायण फुला के घर के पास पक्का चेक डेम 2. वाली प्रेम शंकर के घर के पास पक्का चेक डेम निर्माण 3. भैरव मंगला के घर के पास पक्का चेक डैम निर्माण 4. मोतीलाल के घर के पास श्मशान घाट के पास पक्का चेक डेम निर्माण	4	4
2	पशु बाड़ा निर्माण के संबंध में	68	68
3	भूमि समतलीकरण	4	4
	सड़क निर्माण मानेग/मंगला के घर से कापा दरा तक सड़क निर्माण कापा दरा से नाथू/मरता के घर तक सड़क निर्माण	2	
4	कुआं गहरीकरण	4	4
5	प्रधानमंत्री आवास निर्माण	3	3

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

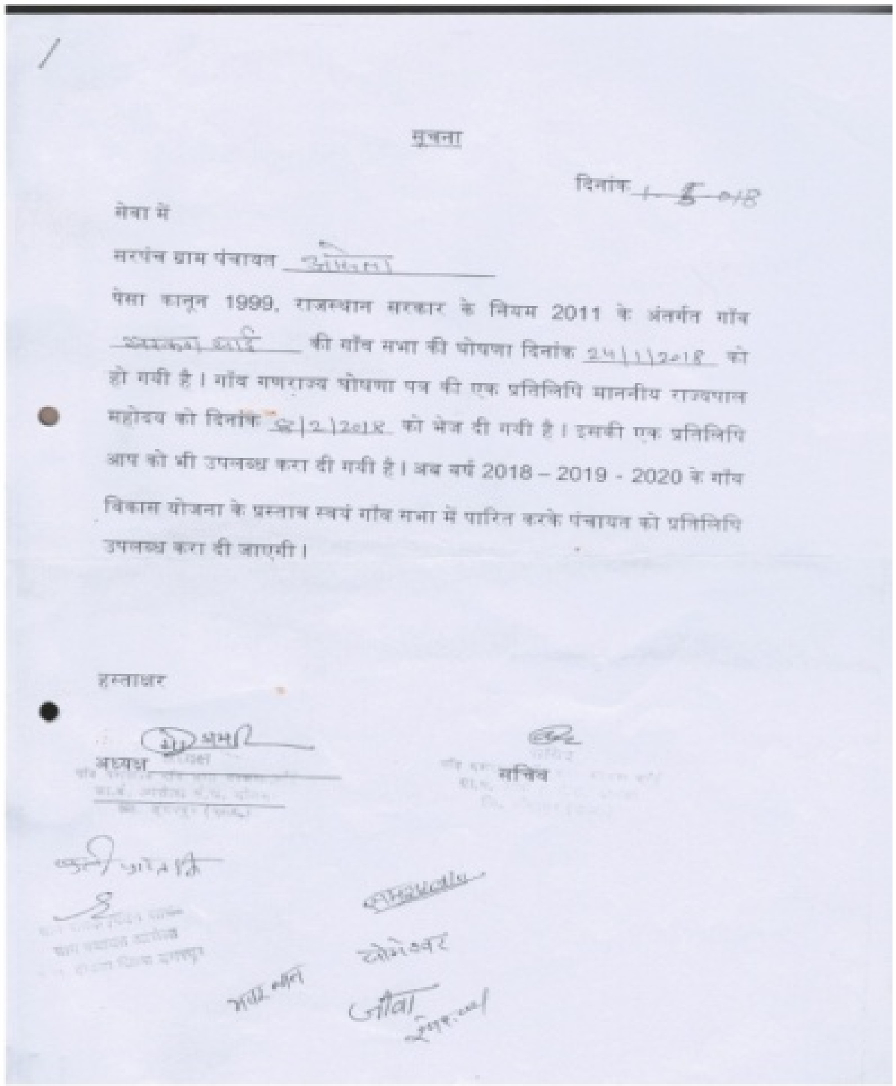

सूचना

दिनांक 1-5-2018

सेवा में

सरपंच ग्राम पंचायत [illegible]

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव [illegible] की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 24/1/2018 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक [illegible] को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 – 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

सचिव

सूचना

(5)

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत आसेला

गाँव गणराज्य गाँव सभा सरकण साँई ग्रा.पं. आसेला पं.स. दोवड़ा
दि 10/5/2018

विषय:- गांव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का कियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रो पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगो ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गांव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया हैं।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके कियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम. सरकण साँई

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् विकास अधिकारी..दोवड़ा
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी. डुंगरपुर
4. निजी रेकार्ड

अध्यक्ष
गाँव गणराज्य गाँव सभा सरकण साँई
ग्रा.पं. आसेला पं.स. दोवड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)

सचिव
गाँव गणराज्य गाँव सभा सरकण साँई
ग्रा.पं. आसेला पं.स. दोवड़ा
जि. डूंगरपुर (राज.)

ग्राम सेवक / पदेन सचिव
ग्राम पंचायत आसेला

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

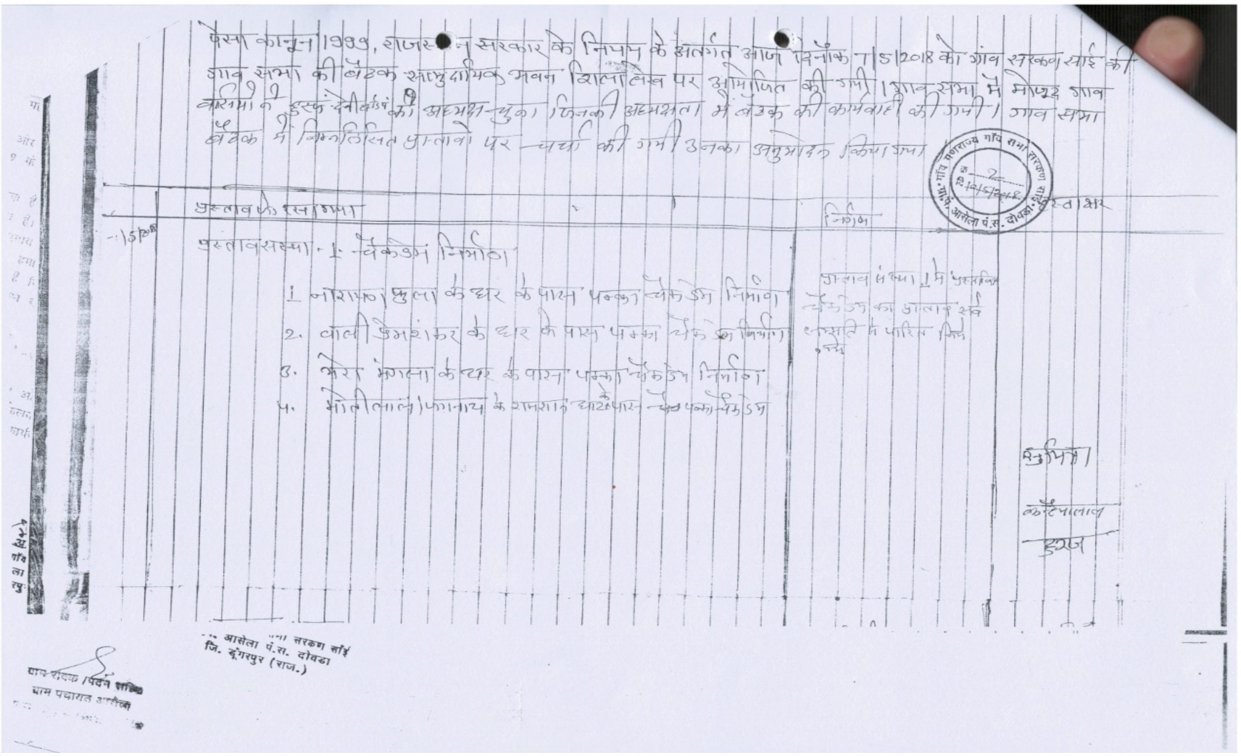

प्रस्ताव प्रथम पेज

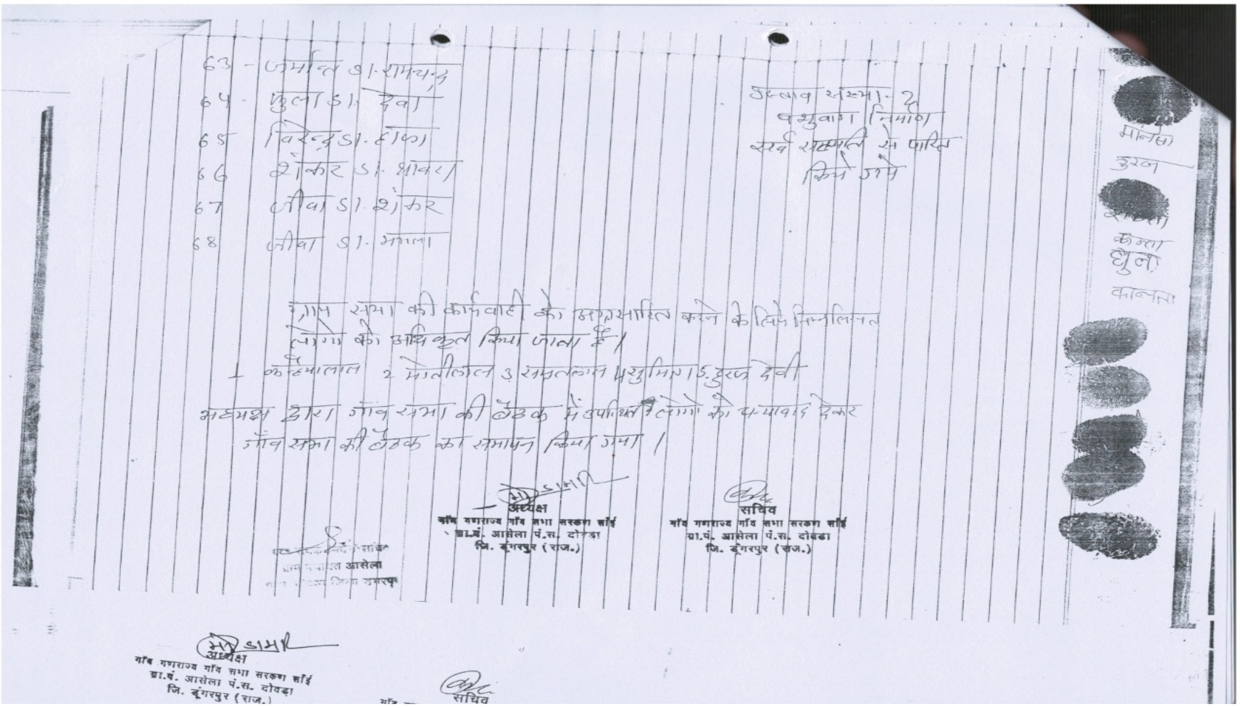

प्रस्ताव अंतिम पृष्ठ

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	फोन न.
1. सुनीता डामोर पंकज डामोर	7728806077
2. सुमित्रा परमार संजय	7340113403
3. कन्हैया लाल डामोर	8107079882
4. समरथ लाल रतन जी	9928696900